



104 Prods  


30.04.2024 पत्रावली पेश हुई।

आधिकारिता पार्थी उपस्थित। आधिकारिता पार्थी ने अपने पार्थी पत्र को जस्टिस नोटिस में खारिज करने का निवेदन किया।

अतः आधिकारिता पार्थी के निवेदन पर पार्थी पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को इसी हतर पर जस्टिस नोटिस खारिज किया जा रहा है।

पत्रावली फल शुभार होकर नंबर के क्रम की जाकर दाखिल दफ्तर है। 

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक जस्टिस (फास्टट्रेक) साचौर